ऋण की सामान्य शर्तें और नियम

मैंने डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 ("डीएमआई") में है, द्वारा मुझे प्रदान किए गए ऋण के संबंध में **इन** सामान्य नियमों और शर्तों ("टी **एंड सी** ") **को स्वीकार कर लिया** है, जिसका अर्थ है और इसमें डीएमआई द्वारा इन टी एंड सी की स्वीकृति के लिए भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (" **ओटीपी** ") को दर्ज करके इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं और ये मेरे लिए बाध्यकारी होंगे। डीएमआई की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रासंगिक स्थानीय भाषा में इस टी एंड सी की अनुवादित प्रति और मांग पर मुझे भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1. परिभाषाएं

इस नियम एवं शर्तों तथा ऋण आवेदन में निहित नियम एवं अभिव्यक्तियाँ निम्नानुसार परिभाषित हैं:

(i) " **अतिरिक्त प्रतिभूतियों** " का अर्थ इस अनुबंध के खंड 5.14 में दिया गया है।

(ii) " **उपलब्धता अवधि** " से तात्पर्य उस अवधि से है जिसके भीतर उधारकर्ता स्वीकृत ऋण की निकासी का अनुरोध कर सकता है, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान किया गया है।

(iii) " **उधारकर्ता** " का तात्पर्य मुख्य तथ्य विवरण में वर्णित उधारकर्ता/आवेदक से है और इसमें कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी, हित में उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती (जैसा लागू हो) शामिल हैं।

(iv) " **उधारकर्ता की देयताएं** " का अर्थ है, स्वीकृत ऋण के लिए ऋणदाता द्वारा डीएमआई को देय सभी राशियां, जिसमें बिना किसी सीमा के, कोई भी बकाया मूल राशि, ब्याज, तथा वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार उसके संबंध में देय कोई अन्य शुल्क, लागत और व्यय शामिल हैं।

(v) " **क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी** " का तात्पर्य किसी भी आरबीआई द्वारा अनुमोदित क्रेडिट सूचना कंपनियों से है, जिसमें बिना किसी सीमा के ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड, इक्विफैक्स, सीआरआईएफ हाई मार्क और एक्सपेरियन शामिल हैं।

(vi) " **कूलिंग ऑफ पीरियड** " से तात्पर्य उस अवधि से है, जो प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट है, और उधारकर्ता को वितरित स्वीकृत ऋण से बाहर निकलने के लिए दी जाती है, यदि उधारकर्ता ऐसे स्वीकृत ऋण को जारी न रखने का निर्णय लेता है।

(vii) " **डीमैट खाता** " का तात्पर्य प्रतिभागी के साथ खोले गए डीमैट खाते से होगा।

(viii) " **डिपॉजिटरी** " का अर्थ डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 2(ई) के तहत इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा।

(ix) " **डिपॉजिटरी विनियम** " का तात्पर्य सेबी (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 1996 से होगा, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

(x) " **जमा दस्तावेज** " का अर्थ, डिजिटल रूप में: (ए) प्रतिभूतियों (अतिरिक्त प्रतिभूतियों सहित) के संबंध में, जो शेयर और डिबेंचर हैं: (ए) प्रतिज्ञा फॉर्म, जो ऐसी प्रतिभूतियों पर प्रतिज्ञा के निर्माण के लिए प्रतिभागी के पास दाखिल किया जाएगा; (बी) उधारकर्ता के डिपॉजिटरी से प्राप्त या प्राप्त होने वाली सूचना, जो डीएमआई के पक्ष में प्रतिभूतियों पर प्रतिज्ञा के निर्माण और नोटिंग की पुष्टि करती है और प्रतिभूतियों को "मुक्त शेष" से "गिरवी शेष" में स्थानांतरित करती है; (सी) प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिज्ञा मास्टर रिपोर्ट, पास बुक, खातों के विवरण की प्रमाणित प्रति, जो प्रतिभागी द्वारा जारी की गई है या जारी की जाएगी, साथ ही प्रतिभागी के पत्रों द्वारा उनके द्वारा लाभकारी स्वामी के रूप में प्रतिभूतियों को धारण करने की पुष्टि की गई है; (डी) अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी; और (ई) प्रतिभूतियों के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज और कोई वितरण और अभिवृद्धि जो इस टीएंडसी के अनुसार जमा और गिरवी रखने की आवश्यकता है; और (बी) प्रतिभूतियों (अतिरिक्त प्रतिभूतियों सहित) के संबंध में, जो म्यूचुअल फंड की इकाइयां हैं: (ए) म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट या म्यूचुअल फंड के परिसंपत्ति प्रबंधक को ऐसी प्रतिभूतियों पर

प्रभार/ग्रहणाधिकार अंकन दर्ज करने के लिए आवेदन; और (बी) म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट या म्यूचुअल फंड के परिसंपत्ति प्रबंधक से प्राप्त होने वाली सूचना, जो डीएमआई के पक्ष में अपने रिकॉर्ड में इकाइयों पर प्रभार/ग्रहणाधिकार अंकन की नोटिंग की पुष्टि करती है।

(xi) " **देय तिथि** " का तात्पर्य किसी भी उधारकर्ता के बकाए के संबंध में किसी भी भुगतान के संबंध में है, अर्थात वह तिथि जिस पर वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार किसी भी स्वीकृत ऋण के संबंध में उधारकर्ता से डीएमआई को कोई राशि देय होती है।

(xii) " **ईपीआई** " का अर्थ पुनर्भुगतान की समतुल्य या निश्चित राशि है, जिसमें मूलधन और ब्याज (यदि लागू हो) दोनों घटक शामिल हैं, जिसे उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत ऋण के पुनर्भुगतान के लिए निश्चित अंतराल पर या बकाया स्वीकृत ऋण के लिए एकल पुनर्भुगतान किस्त के रूप में भुगतान किया जाएगा (प्रत्येक मामले में मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार) ब्याज (यदि लागू हो) के साथ, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में ऐसे स्वीकृत ऋण की अवधि के भीतर स्वीकृत ऋण का पूर्ण परिशोधन होगा।

(xiii) " **चूक की घटना** " का अर्थ खंड 6.1 में दिया गया है।

(xiv) " **वित्तपोषण दस्तावेज़** " का अर्थ है यह नियम एवं शर्तें, स्वीकृति पत्र, ऋण आवेदन, मुख्य तथ्य विवरण, सुरक्षा दस्तावेज़, इसके अनुलग्नक सहित और उधारकर्ता द्वारा निष्पादित या डीएमआई द्वारा अपेक्षित कोई भी दस्तावेज़, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(xv) " **ब्याज** " का तात्पर्य ऐसे स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि पर देय ब्याज, यदि कोई हो, प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान की गई दर और तरीके से है।

(xvi) " **मुख्य तथ्य विवरण** " का अर्थ है स्वीकृत ऋण के मुख्य तथ्यों और शर्तों का विवरण, सरल और समझने में आसान भाषा में, डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को समय-समय पर, लागू कानून के तहत निर्धारित मानकीकृत प्रारूप में प्रदान किया जाता है, जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अलावा, वार्षिक प्रतिशत दर का विवरण, संग्रह एजेंसी का विवरण, यदि कोई हो, शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण, कूलिंग ऑफ अवधि, आदि शामिल हैं।

(xvii) " **विलंब भुगतान शुल्क** " का अर्थ है चेक के अनादर या मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित किसी अधिदेश के कारण चूक की स्थिति में उधारकर्ता द्वारा देय बाउंस शुल्क, ऐसे अनादर की प्रत्येक घटना के लिए।

(xviii) " **ऋण आवेदन** " का तात्पर्य स्वीकृत ऋण प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को प्रस्तुत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन से है।

(xix) " **मार्जिन** " का अर्थ है, समय-समय पर डीएमआई के पक्ष में प्रभारित/गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य का आधिक्य, जिसे किसी भी समय उधारकर्ता की देयताओं पर बनाए रखना आवश्यक होता है।

(xx) " **मार्जिन कॉल** " का अर्थ डीएमआई द्वारा की गई मांग है, जिसमें उधारकर्ता से डीएमआई को नकद भुगतान करने और/या मार्जिन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियां प्रदान करने का आह्वान किया जाता है।

(xxi) " **बाजार मूल्य** " का अर्थ है (क) म्यूचुअल फंड इकाइयों के अलावा अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में, स्टॉक एक्सचेंज से वास्तविक समय के आधार पर प्राप्त ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य; और (ख) म्यूचुअल फंड इकाइयों के संबंध में, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया से प्राप्त शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर गणना की गई बाजार कीमत।

(xxii) " **भौतिक प्रतिकूल प्रभाव** " का अर्थ है कोई भी घटना जिसका (i) उधारकर्ता की देनदारियों का भुगतान करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; या (ii) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत डीएमआई के अधिकार और उपाय; या (iii) उधारकर्ता की देनदारियों की वसूली। डीएमआई द्वारा किसी घटना को भौतिक प्रतिकूल प्रभाव माना जाना चाहिए या नहीं, इस पर कोई भी निर्धारण उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

(xxiii) " **अधिदेश** " का अर्थ इस अनुच्छेद के अंतर्गत धारा 4.1 में निर्दिष्ट है।

(xxiv) " **म्यूचुअल फंड** " का तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत म्यूचुअल फंड या फंड से है।

(xxv) " **म्यूचुअल फंड यूनिट(स)** " का अर्थ म्यूचुअल फंड में यूनिट धारकों का हित है, जिसमें प्रत्येक यूनिट म्यूचुअल फंड की परिसंपत्तियों में एक अविभाजित शेयर का प्रतिनिधित्व करती है।

(xxvi) " **नेट एसेट वैल्यू** " या " **एनएवी** " का मतलब स्कीम की परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य में से उसकी देनदारियों को घटाकर प्राप्त किया गया मूल्य है। प्रति यूनिट एनएवी स्कीम के नेट एसेट मूल्य को मूल्यांकन तिथि पर बकाया इकाइयों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। एनएवी का खुलासा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) या वेबसाइट या डीएमआई को स्वीकार्य किसी अन्य स्रोत पर दैनिक आधार पर किया जाएगा।

(xxvii) **"अतिदेय शुल्क" का अर्थ है प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित दंडात्मक शुल्क जो उन सभी राशियों पर देय है जिनका भुगतान उनकी संबंधित देय तिथियों पर नहीं किया जाता है। अतिदेय शुल्क को डीएमआई द्वारा** पूंजीकृत नहीं किया जाएगा **, अर्थात ऐसे अतिदेय शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा।**

(xxviii) " **प्रतिभागी** " का अर्थ डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(जी) में दिया गया है।

(xxix) " **गोपनीयता नीति** " का अर्थ है डीएमआई की गोपनीयता नीति जो https://www.dmifinance.in/privacy-and-security पर उपलब्ध है ।

(xxx) " **उद्देश्य** " का तात्पर्य मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित स्वीकृत ऋण के अनुमत उपयोग से है।

(xxxi) " **आरबीआई** " का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक से है।

(xxxii) " **स्वीकृत ऋण** " का अर्थ वह राशि होगी जिसे उधारकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों और ऐसे स्वीकृत ऋण के लिए जारी किए गए मुख्य तथ्य विवरण के अनुसार निकाला जा सकता है। निकासी के लिए उपलब्ध राशि की गणना स्वीकृत प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर सहमत मार्जिन लागू करने के बाद की जाएगी, जिन्हें समय-समय पर डीएमआई के पक्ष में चार्ज/गिरवी रखा जाता है।

(xxxiii) " **प्रतिभूति** " का अर्थ है कोई भी डीमैट सूचीबद्ध शेयर, म्यूचुअल फंड की यूनिट, बांड और अन्य प्रतिभूतियां, जैसा कि डीएमआई द्वारा तय और स्वीकार किया जाता है और समय-समय पर डीएमआई के पक्ष में गिरवी रखा जाता है, और इसमें मुख्य तथ्य विवरण में वर्णित प्रतिभूतियां और कोई अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं, जो उपरोक्त के अतिरिक्त और/या अतिरिक्त प्रतिभूतियों के प्रतिस्थापन में स्वीकार की जाती हैं, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता होती है।

(xxxiv) " **सुरक्षा दस्तावेज** " का अर्थ है सभी विलेख, ज्ञापन, दस्तावेज और अन्य सभी उपकरण, चाहे वे किसी के भी द्वारा निष्पादित किए गए हों, जिनके द्वारा सुरक्षा ट्रस्टी के पक्ष में सुरक्षा हित बनाया जाता है , जिसमें किसी भी डिपॉजिटरी या प्रतिभागी या म्यूचुअल फंड के लिए परिसंपत्ति प्रबंधक या म्यूचुअल फंड के लिए रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट को किसी भी प्रतिभूतियों पर सुरक्षा हित बनाने के लिए दिए गए निर्देश शामिल हैं और इसमें जमा किए गए दस्तावेज शामिल हैं।

(xxxv) " **सुरक्षा ट्रस्टी** " का अर्थ है नैब फाइनेंस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी है, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या U65100KA2015PTC083383 है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय नंबर एल 127, 4वां मेन 14वां क्रॉस, VI सेक्टर, एचएसआर लेआउट, बैंगलोर, कर्नाटक, भारत - 560102 में है और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय ए-31, हौज खास, नई दिल्ली, भारत - 110016 में है, जो ऋणदाता के लिए सुरक्षा ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करता है।

(xxxvi) " **सुरक्षा ट्रस्टी समझौता** " से तात्पर्य इस तिथि को या इसके आसपास उधारकर्ता, डीएमआई और सुरक्षा ट्रस्टी के बीच स्वीकृत ऋण के लिए सुरक्षा ट्रस्टी के रूप में सुरक्षा ट्रस्टी की नियुक्ति के लिए किए गए सुरक्षा ट्रस्टी समझौते से है।

(xxxvii) " **स्टॉक एक्सचेंज** " का तात्पर्य भारत में स्टॉक एक्सचेंज से है जहां प्रतिभूतियां सूचीबद्ध और कारोबार की जाती हैं।

1.2. **व्याख्या**

इस नियम एवं शर्त में:

(i) एकवचन में बहुवचन शामिल है (और इसके विपरीत); तथा

(ii) लिंग के संदर्भ में महिला, पुरुष और तटस्थ लिंग के संदर्भ शामिल होंगे, जैसा भी लागू हो।

2. **स्वीकृति और संवितरण**

2.1. ऋण आवेदन सहित वित्तपोषण दस्तावेजों में उधारकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, डीएमआई ने ऋण को वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों पर स्वीकृत ऋण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। डीएमआई के पास ऐसे अनुरोध को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का एकमात्र और पूर्ण विवेक होगा। यदि डीएमआई ऐसे अनुरोध को मंजूरी देता है, तो उसे वित्तपोषण दस्तावेजों (ऐसे स्वीकृत ऋण के संबंध में जारी किए गए मुख्य तथ्य विवरण सहित) के अनुसार स्वीकृत ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

2.2. उधारकर्ता समझता है कि (i) स्वीकृत ऋण का संवितरण डीएमआई द्वारा उधारकर्ता के सत्यापन और उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार उसकी संतुष्टि के लिए जाँच के पूरा होने के अधीन है और यदि ऐसा सत्यापन संतोषजनक नहीं है, तो डीएमआई स्वीकृत ऋण को रद्द करने का हकदार होगा; (ii) स्वीकृत ऋण, यदि रद्द नहीं किया जाता है, तो डीएमआई द्वारा उसकी आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार उसकी संतुष्टि के लिए सत्यापन और जाँच के पूरा होने के बाद संवितरित किया जाएगा। उधारकर्ता समझता है कि उधारकर्ता को प्रदान किया गया स्वीकृत ऋण डीएमआई के आंतरिक मानदंडों और एकमात्र विवेक के अनुसार है और इसे डीएमआई द्वारा किसी भी समय अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से रद्द या निरस्त किया जा सकता है। किसी भी स्वीकृत ऋण के रद्द होने की विधिवत सूचना उधारकर्ता को दी जाएगी।

2.3. स्वीकृत राशि, उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर या मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार, उधारकर्ता के बैंक खाते में वितरित की जाएगी। बशर्ते कि यदि स्वीकृत राशि उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर या मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार उधारकर्ता के बैंक खाते में वितरित की जाएगी।

2.4. उधारकर्ता को मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित गैर-वापसीयोग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा, साथ ही उस पर माल एवं सेवा कर भी देना होगा, जिसे वितरित स्वीकृत ऋण से रखा जा सकता है और उसे उधारकर्ता को वितरित किया गया माना जाएगा तथा उधारकर्ता तदनुसार संपूर्ण स्वीकृत ऋण के लिए उत्तरदायी होगा।

2.5. उधारकर्ता डीएमआई के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपने स्वीकृत ऋण, बकाया राशि का विवरण देख सकते हैं और पुनर्भुगतान भी कर सकते हैं।

2.6. उधारकर्ता को कूलिंग ऑफ अवधि के दौरान मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके, बिना किसी दंड के, वितरित स्वीकृत ऋण से बाहर निकलने का विकल्प दिया जाएगा। लुक-अप अवधि के बाद भी स्वीकृत ऋण के साथ जारी रखने वाले उधारकर्ता के लिए, डीएमआई की पूर्व स्वीकृति के साथ ही पूर्व-भुगतान की अनुमति दी जाएगी और मुख्य तथ्य विवरण में डीएमआई द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और पूर्व-भुगतान शुल्क के अधीन होगी।

2.7. स्वीकृत ऋण केवल उस सीमा तक ही निकाला जाएगा, जिस सीमा तक उधारकर्ता ने प्रतिभूतियों पर प्रभार/गिरवी रखी है, जैसा कि स्वीकृत राशि के संवितरण के बाद सहित हर समय मार्जिन बनाए रखने के लिए आवश्यक है । स्वीकृत ऋण के तहत किसी भी राशि के संवितरण से पहले समय-समय पर DMI के पक्ष में गिरवी रखी जाने वाली/प्रभारित की जाने वाली प्रतिभूतियों का मूल्य। प्रतिभूतियों के मूल्यांकन, मार्जिन मनी और स्वीकृत ऋण के तहत वास्तविक संवितरण के संबंध में निर्णय विशेष रूप से DMI द्वारा लिए जाएंगे और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होंगे।

2.8. इस नियम एवं शर्त में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऋणकर्ता इस बात से सहमत है और पुष्टि करता है कि डीएमआई अपने विवेकानुसार समय-समय पर और बिना कोई कारण बताए, ऋणकर्ता से डीएमआई को स्वीकार्य अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, उसे स्वीकार्य प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट कर सकता है, पहले किसी अवसर पर उसके द्वारा स्वीकार की गई किसी भी प्रतिभूति को अस्वीकार्य घोषित कर सकता है, डीएमआई को स्वीकार्य स्क्रिप संरचना, मानदंड, स्क्रिप की अधिकतम/न्यूनतम संख्या, मार्जिन की आवश्यकताओं को बदल सकता है और ऋणकर्ता इसके लिए बाध्य होगा।

2.9. डीएमआई द्वारा अस्वीकार्य घोषित की गई प्रतिभूतियां फिर भी सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में गिरवी/ग्रहणाधिकार चिह्नित/असाइन (जो भी लागू हो) तब तक जारी रहेंगी जब तक कि उन्हें सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) द्वारा स्वीकार्य प्रतिभूतियों के साथ प्रतिस्थापित करने पर जारी नहीं किया जाता है, जो मार्जिन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

3. ब्याज और पुनर्भुगतान

3.1. उधारकर्ता मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार स्वीकृत ऋण की अवधि के दौरान प्रत्येक देय तिथि पर ईपीआई के माध्यम से बकाया स्वीकृत ऋण को ब्याज (यदि कोई हो) सहित चुकाएगा। ईपीआई की गणना डीएमआई द्वारा स्वीकृत ऋण और उस पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर देय ब्याज (यदि कोई हो) के परिशोधन के लिए आवश्यक के रूप में की जाएगी और मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अधिकतम ईपीआई से अधिक नहीं होगी। ईपीआई केवल स्वीकृत ऋण और उस पर ब्याज (यदि कोई हो) के विरुद्ध बकाया मूलधन के लिए होगी और इसमें वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा देय कोई दंडात्मक शुल्क/अतिदेय शुल्क या कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं है। पहले ईपीआई की राशि और तिथि स्वीकृत ऋण के वितरण की तिथि के आधार पर बदल सकती है और ऐसी संशोधित तिथि और राशि उधारकर्ता को ऐसे भुगतान के लिए देय तिथि से पहले सूचित कर दी जाएगी। डीएमआई के प्रति उधारकर्ता की देयता तभी समाप्त हो जाएगी जब ऋण खाते में बकाया राशि और सभी प्रभार (मुख्य तथ्य विवरण के अनुसार) शून्य हो जाएंगे।

3.2. किसी भी स्थिति में, यदि किसी भी कारण से उक्त ऋण की अवधि मूल अवधि से आगे बढ़ा दी जाती है, तो उधारकर्ता स्वीकृत ऋण की बकाया मूल राशि के साथ-साथ अतिदेय प्रभार, विलंबित भुगतान शुल्क और अन्य ब्याज/प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट है।

3.3. प्रत्येक ईपीआई का समय पर भुगतान अनुबंध का सार है। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने ईपीआई की गणना की विधि को समझ लिया है और वह इस पर विवाद नहीं करेगा।

3.4. **यदि किसी ईपीआई का भुगतान उसकी नियत तिथि पर नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता को देरी की अवधि के लिए उस पर अतिदेय शुल्क का भुगतान करना होगा, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में बताया गया है। उपरोक्त बातें डीएमआई के किसी भी अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैं जो इस नियम और शर्तों के तहत या उधारकर्ता द्वारा देय तिथियों पर उधारकर्ता के बकाया का भुगतान करने में चूक के संबंध में लागू कानून के तहत हो सकते हैं।**

3.5. वित्तीय दस्तावेजों में कहीं और कही गई किसी भी बात के बावजूद, ईपीआई सहित उधारकर्ता की सभी बकाया राशि, उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को तब देय होगी जब डीएमआई द्वारा मांग की जाएगी, अपने विवेकानुसार और बिना किसी कारण बताए। उधारकर्ता को ऐसी राशि, बिना किसी देरी या आपत्ति के, ऐसी मांग के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर चुकानी होगी।

3.6. डीएमआई ब्याज दर/किसी अन्य शुल्क को संशोधित करने का हकदार होगा और डीएमआई बकाया स्वीकृत ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए ईपीआई/ईपीआई की संख्या की पुनर्गणना कर सकता है। डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को सूचित किया गया ऐसा कोई भी परिवर्तन भावी रूप से लागू होगा और उधारकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसे संशोधन के मामले में उधारकर्ता ऐसे संशोधन के 30 (तीस) दिनों के भीतर, बिना किसी पूर्व भुगतान दंड के, अर्जित ब्याज (यदि लागू हो) के साथ संपूर्ण बकाया स्वीकृत ऋण का पूर्व भुगतान करने का हकदार होगा।

3.7. ऋणकर्ता को सभी शुल्क, उपकर और अन्य प्रकार के करों का वहन करना होगा, चाहे वे अभी लागू हों या भविष्य में, किसी भी कानून के तहत किसी भी समय वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत डीएमआई को किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में देय होंगे। ऋणकर्ता डीएमआई द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों को लागू करने या स्वीकृत ऋणों के संबंध में कोई भी वसूली कार्यवाही करने में देय सभी राशियों और सभी लागतों, शुल्कों, लेवी आदि के लिए उत्तरदायी होगा। ऋणकर्ता स्वीकार करता है कि यदि इन नियमों और शर्तों पर कोई स्टाम्प शुल्क लागू होता है तो ऋणकर्ता इसके लिए उत्तरदायी होगा। यदि उपरोक्त कोई भी शुल्क, शुल्क, कर और लागत डीएमआई द्वारा वहन की जाती है, तो ये ऋणकर्ता से वसूल किए जाएँगे और भुगतान की तिथि से प्रतिपूर्ति तक अतिदेय शुल्क वहन करेंगे।

3.8. वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी भी विपरीत नियम व शर्तों के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा चुकाई गई राशि को सबसे पहले लागत, प्रभार, व्यय और अन्य धनराशियों के लिए; दूसरे, अतिदेय प्रभारों (यदि कोई हो) के लिए; तीसरे, ब्याज के लिए; और अंत में स्वीकृत ऋण की मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए विनियोजित किया जाएगा।

3.9. ब्याज, अतिदेय प्रभार और अन्य सभी प्रभार दिन-प्रतिदिन अर्जित होंगे और उनकी गणना 30/360 दिन की परंपरा के आधार पर की जाएगी।

3.10. यदि किसी भुगतान की देय तिथि कोई व्यावसायिक दिन नहीं है, तो उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान तुरंत अगले व्यावसायिक दिन पर किया जाएगा।

3.11. डीएमआई को उधारकर्ता द्वारा देय सभी राशि बिना किसी कटौती के चुकाई जाएगी। भुगतान के लिए क्रेडिट/डिस्चार्ज केवल देय राशि की वसूली पर ही दिया जाएगा।

3.12. उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि ब्याज दर, दंडात्मक/अतिदेय शुल्क, सेवा शुल्क और अन्य देय शुल्क तथा वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई दरें उसके लिए उचित और स्वीकार्य हैं।

4. भुगतान, पुनर्भुगतान और पूर्व भुगतान का तरीका

4.1. ऋणकर्ता, समय-समय पर डीएमआई द्वारा अपेक्षित अनुसार, बकाया राशि के भुगतान के लिए ऋणकर्ता के बैंक खाते के विरुद्ध आरबीआई द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा/राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) (डेबिट समाशोधन)/कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य समाशोधन अधिदेश (सामूहिक रूप से " **अधिदेश** " के रूप में संदर्भित) प्रदान करेगा। ऐसा अधिदेश ऐसे बैंक से और ऋणकर्ता के ऐसे खाते से निकाला जाएगा जो डीएमआई को स्वीकार्य हो। ऋणकर्ता देय तिथियों/अधिदेश की पहली प्रस्तुति पर बिना चूक के सभी भुगतानों का सम्मान करेगा। ऋणकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अधिदेश का उपयोग डीएमआई द्वारा ऋणकर्ता के किसी भी बकाए की वसूली के लिए किया जा सकता है। ऋणकर्ता इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से डीएमआई को ऋणकर्ता को अग्रिम सूचना देने या न देने के साथ ही ऐसी वसूली के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है। उधारकर्ता को तुरंत (और किसी भी स्थिति में 7 (सात) दिनों के भीतर) उधारकर्ता की बकाया राशि के भुगतान के लिए निष्पादित किए गए अधिदेश और/या अन्य दस्तावेजों को बदलना होगा, जैसा कि समय-समय पर डीएमआई द्वारा अपने विवेक पर आवश्यक हो सकता है। अधिदेश पंजीकरण की अस्वीकृति के मामले में, उधारकर्ता मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए अनुसार अधिदेश अस्वीकृति शुल्क का भी भुगतान करेगा।

4.2. उधारकर्ता को हर समय अपने बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि रखनी होगी ताकि वह संबंधित देय तिथियों पर उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान कर सके। उधारकर्ता उस बैंक खाते को बंद नहीं करेगा जिससे अधिदेश जारी किया गया है या अधिदेश के तहत भुगतान रोकने या देरी करने के लिए बैंक या डीएमआई को निर्देश जारी नहीं करेगा और डीएमआई ऐसे किसी भी संचार पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे किसी भी निर्देश को भी डिफ़ॉल्ट की घटना माना जाएगा।

4.3. उधारकर्ता द्वारा दिया गया अधिदेश उस अधिदेश की संबंधित तिथि तक वैध रहेगा और उधारकर्ता यह दावा नहीं करेगा कि उधारकर्ता द्वारा दिया गया अधिदेश या ऐसा कोई अन्य अधिदेश किसी भी कारण से अवैध है।

4.4. उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि अधिदेश उधारकर्ता के बकाया के भुगतान के लिए स्वैच्छिक रूप से जारी किया गया है, न कि किसी भी उद्देश्य के लिए सुरक्षा के रूप में। उधारकर्ता यह भी स्वीकार

करता है कि किसी भी अधिदेश का अनादर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881/भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 के तहत एक आपराधिक अपराध है। उधारकर्ता प्रत्येक अधिदेश अनादर के लिए विलंब भुगतान शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित है)।

4.5. किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या मतभेद, उधारकर्ता को किसी भी ईपीआई या अन्य राशि के भुगतान को रोकने या विलंबित करने का अधिकार नहीं देगा और डीएमआई को देय तिथियों पर अधिदेश प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

4.6. अधिदेश जारी होने के बावजूद, ऋणदाता बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

4.7. अतिरिक्त, डीएमआई चेक/नकद (लागू कानूनों के अनुसार)/ एनईएफटी/आरटीजीएस/भुगतान के अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के माध्यम से भी भुगतान स्वीकार करेगा और उधारकर्ता अपने बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक होने पर ऐसे विकल्पों का लाभ उठा सकता है। हालाँकि, उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि अधिदेश के अलावा अन्य तरीकों से बकाया राशि के भुगतान की स्थिति में लेन-देन के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा और उधारकर्ता से वसूला जाएगा।

5. सुरक्षा और मार्जिन

5.1. स्वीकृत ऋण और उधारकर्ता की देयताओं को उधारकर्ता द्वारा समय-समय पर सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में प्रतिभूतियों पर प्रतिज्ञा/प्रभार बनाकर सुरक्षित किया जाएगा, जब तक कि उधारकर्ता द्वारा डीएमआई की संतुष्टि के लिए ऐसी सभी राशियों का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता।

5.2. उधारकर्ता इस प्रकार सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में ग्रहणाधिकार चिह्नांकन के माध्यम से गिरवी रखने और/या प्रभारित करने के लिए सहमत होता है और डीएमआई द्वारा समय-समय पर अपेक्षित प्रतिभूतियों को सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में प्रथम और अनन्य प्रभार के आधार पर गिरवी रखने और ग्रहणाधिकार चिह्नांकन के माध्यम से प्रभारित रखने के लिए सहमत होता है, जिसमें स्वीकृत ऋण के विरुद्ध संवितरण करना और मार्जिन का रखरखाव करना शामिल है। उधारकर्ता ऐसे कार्य करेगा और ऐसे कर्म और दस्तावेज निष्पादित और वितरित करेगा, जैसा कि समय-समय पर ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में गिरवी रखने/प्रभार करने/ग्रहणाधिकार चिह्नांकन करने के लिए सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) द्वारा अपेक्षित हो सकता है, जिसमें डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत नियमों और विनियमों के अनुसार बिना किसी सीमा के शामिल है।

5.3. प्रतिभूतियों पर गिरवी रखने की प्रक्रिया

प्रतिभूतियों पर गिरवी रखने के लिए, उधारकर्ता को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

(i) प्रतिभूतियों का वर्तमान लाभकारी स्वामी होने के नाते, उधारकर्ता को प्रतिभूति ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिज्ञा बनाने के लिए डिपॉजिटरी विनियमन के विनियमन 58 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। पूर्वगामी की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, उधारकर्ता भागीदार के माध्यम से डिपॉजिटरी को प्रतिभूति प्रतिज्ञा अनुरोध फॉर्म/हस्तांतरण फॉर्म सहित ऐसा अनुरोध जारी करेगा, प्रतिज्ञा के निर्माण का अनुरोध करेगा, और ऐसे अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करेगा जो प्रतिभूति ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में प्रतिभूतियों की प्रतिज्ञा को प्रभावी करने के लिए डिपॉजिटरी विनियमों के अनुसार आवश्यक होंगे। डिपॉजिटरी द्वारा सिक्योरिटी ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के नाम पर सिक्योरिटीज की गिरवी को अपने रजिस्टर में दर्ज करने और रजिस्टर करने के तुरंत बाद , डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में गिरवी के निर्माण की पुष्टि करते हुए, गिरवी को सिक्योरिटी ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में विधिवत बनाया गया माना जाएगा और उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य और प्रविष्टियाँ डिपॉजिटरी विनियमों के विनियमन 58 के अनुसार दर्ज की गई हैं, और सिक्योरिटी ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) का नाम प्रतिभागी द्वारा गिरवीदार के रूप में पंजीकृत किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिक्योरिटीज पर प्रभावी और वैध गिरवी सिक्योरिटी ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में बनाई गई है।

उधारकर्ता ऐसे सभी कार्य करेगा और ऐसे दस्तावेज़ और समझौते निष्पादित करेगा जो वित्तपोषण दस्तावेज़ों की शर्तों के अनुसार गिरवी के वैध निर्माण और पूर्णता के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(ii) उपरोक्त खंड (i) में निर्धारित प्रक्रियाओं के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, उधारकर्ता स्वीकार करता है कि प्रतिभूति ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में प्रतिभूतियों पर गिरवी प्रभावी हो जाएगी। प्रतिभूति ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में गिरवी के निर्माण पर , सभी अधिकार, शीर्षक, दावे, मांग, लाभ और हित, जिसमें बिना किसी सीमा के प्रतिभूतियों या उधारकर्ता के ऐसे हिस्से की बिक्री और अन्य प्राप्ति की आय का अधिकार शामिल है, वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार स्वचालित रूप से प्रतिभूति ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में स्थानांतरित हो जाएगा । उधारकर्ता वित्तपोषण दस्तावेजों के निष्पादन के समय जमा किए गए दस्तावेज़ भी जमा करेगा। प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के बारे में निर्णय प्रतिभूति ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के अनन्य विवेक पर होगा और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

(iii) डीएमआई/ सुरक्षा ट्रस्टी (ऋणदाता के लाभ के लिए तथा उसके निर्देशों पर कार्य करते हुए) किसी भी ऐसी कार्रवाई को करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे प्रतिभूतियों पर गिरवी रखकर सुरक्षा की सुरक्षा और/या पूर्णता के लिए उचित रूप से आवश्यक समझा जा सकता है, जिसमें बिना किसी सीमा के, चूक की घटना के बाद, वित्तपोषण दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार गिरवी की अवधि के दौरान डीएमआई और/या उसके नामांकित व्यक्तियों के नाम पर प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करना शामिल है।

5.4. पूर्वगामी खंड की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि उधारकर्ता को किसी भी समय या समय-समय पर सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में कोई प्रतिभूति गिरवी रखने/प्रभार करने/ग्रहणाधिकार चिह्न लगाने की आवश्यकता होती है, तो उधारकर्ता ऐसी प्रतिभूतियों से संबंधित जमा दस्तावेजों को सुरक्षा ट्रस्टी को सौंपेगा, साथ ही ऐसे अन्य दस्तावेज जो ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में गिरवी/प्रभार/ग्रहणाधिकार चिह्न के लिए प्रविष्टि दर्शाते हों और कोई अन्य दस्तावेज जो सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए)/डीएमआई की राय में टीएंडसी के तहत या उसके अनुसार बनाई जाने वाली प्रतिभूति के निर्माण या पूर्णता के लिए आवश्यक हों और जो डीएमआई/सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) को स्वीकार्य हों और उसके बाद, अतिरिक्त प्रतिभूतियों सहित ऐसी प्रतिभूतियों में टीएंडसी के तहत प्रभारित और गिरवी रखी गई प्रतिभूतियां शामिल होंगी। उपरोक्त के बावजूद, सभी अतिरिक्त या प्रतिभूतियां जो सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) के पक्ष में गिरवी रखी जाएंगी/प्रभारित की जाएंगी/ग्रहणाधिकार अंकित किया जाएगा , साथ ही प्रतिभूतियों के संबंध में अन्य अभिवृद्धि, अधिकार और लाभ जो सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) के पक्ष में गिरवी रखी गई हैं/प्रभारित की गई हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के, सभी बोनस शेयर, लाभांश, ब्याज, अधिमान्य अधिकार, विभाजित शेयर, मोचन राशि आदि शामिल हैं, उन्हें इस नियम व शर्त के अनुसार सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) के पक्ष में गिरवी रखी गई/प्रभारित की गई/ग्रहणाधिकार अंकित किया गया माना जाएगा । इस नियम व शर्त के नियम व शर्तें, बिना किसी अतिरिक्त अधिनियम, उपकरण या विलेख के, प्रतिभूतियों (अतिरिक्त प्रतिभूतियों सहित) के संबंध में ऐसी सभी अभिवृद्धि, अधिकार और लाभों पर लागू होंगी जैसे कि उन्हें मूल रूप से नियम व शर्त के अनुसार सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) के पक्ष में गिरवी रखा गया/प्रभारित किया गया/ग्रहणाधिकार अंकित किया गया था।

5.5. **गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों में परिवर्तन**

यदि वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा बनाई गई प्रतिभूतियों पर गिरवी को सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करना) के पक्ष में बनाई गई गिरवी से वापस लेना है , या यदि उधारकर्ता द्वारा मौजूदा गिरवी के अतिरिक्त या वापस ली गई किसी गिरवी के स्थान पर कोई अतिरिक्त प्रतिभूति गिरवी रखी जाती है, तो इस नियम व शर्त के खंड 5.3 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, अतिरिक्त प्रतिभूतियों के मामले में, उधारकर्ता सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करना) के पक्ष में डीएमआई/सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करना) द्वारा निर्दिष्ट रूप और तरीके से एक पुष्टि पत्र निष्पादित करेगा।

5.6. यदि स्वीकृत ऋण व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी इकाइयों/यूएलआईपी द्वारा सुरक्षित है, तो इस मामले में पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि उधारकर्ता की मृत्यु के बाद, डीएमआई (किसी अन्य पक्ष से पहले) यूएलआईपी से प्राप्त राशि से राशि प्राप्त करने और उधारकर्ता के बकाया के विरुद्ध उसे सेट-ऑफ करने का हकदार होगा। डीएमआई द्वारा

उधारकर्ता के बकाया के साथ-साथ अर्जित ब्याज, शुल्क, बकाया, लेवी, व्यय, दावे, लागत और शुल्क को सेट-ऑफ करने के बाद, कोई भी अधिशेष राशि उधारकर्ता के नामित व्यक्ति को सौंप दी जाएगी।

5.7. पक्ष में गिरवी रखी जाने वाली/प्रभारित की जाने वाली/ग्रहणाधिकार वाली प्रतिभूतियों का मूल्य डीएमआई के विवेक पर निर्भर करेगा। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, लिस्टिंग/डीलिस्टिंग, मार्जिन मनी और वास्तविक सुविधा डीएमआई के अनन्य निर्णय होंगे और पार्टियों और सुरक्षा ट्रस्टी पर बाध्यकारी होंगे।

5.8. उधारकर्ता इस बात से सहमत है और वचनबद्ध है कि इस नियम और शर्तों के जारी रहने के दौरान किसी भी समय, डीएमआई/सिक्योरिटी ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर काम करते हुए) उधारकर्ता से सिक्योरिटीज के सभी या किसी हिस्से (जैसा कि डीएमआई द्वारा पहले स्वीकार किया गया है) को नई सिक्योरिटीज से बदलने/प्रतिस्थापित करने की मांग कर सकता है जो डीएमआई को स्वीकृत और स्वीकार्य हैं। उधारकर्ता इस नियम और शर्तों के जारी रहने के दौरान किसी भी समय डीएमआई/सिक्योरिटी ट्रस्टी के किसी भी/सभी ऐसे अनुरोध का पालन करने का वचनबद्ध है।

5.9. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि स्वीकृत ऋण का संवितरण केवल तभी उपलब्ध कराया जाएगा जब (i) सुरक्षा ट्रस्टी को सेबी (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018 के विनियमन 58(4) के अनुसार प्रतिभागी से सूचना प्राप्त हो जाएगी, कि डिपॉजिटरी ने म्यूचुअल फंड इकाइयों के अलावा प्रतिभूतियों के संबंध में सुरक्षा ट्रस्टी के पक्ष में प्रतिज्ञा/प्रभार/ग्रहणाधिकार के निर्माण की प्रविष्टि अपने रिकॉर्ड में कर दी है ; और (ii) जहां तक प्रतिभूतियां म्यूचुअल फंड में इकाइयां हैं, सुरक्षा ट्रस्टी को म्यूचुअल फंड के लिए संबंधित रजिस्ट्रार या म्यूचुअल फंड के परिसंपत्ति प्रबंधक से लिखित पुष्टि प्राप्त होगी, जिसमें पुष्टि की गई है कि उसने ऐसी इकाइयों के संबंध में अपने रिकॉर्ड में ग्रहणाधिकार दर्ज किया है; जिनमें से सभी को डीएमआई को सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा आवश्यक सीमा तक प्रतिभूतियों का प्रभार/प्रतिज्ञा प्रदान करनी चाहिए (इस तरह के संवितरण से पहले और बाद में मार्जिन को पूरा करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक सहित)।

5.10. उधारकर्ता इस बात से सहमत है और वचनबद्ध है कि जब भी डीएमआई/सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा अपेक्षित होगा, वह स्वीकृत ऋण को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में प्रतिभूतियों और/या अतिरिक्त प्रतिभूतियों पर भार/गिरवी बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करेगा।

5.11. वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित, वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत सभी दायित्वों के भुगतान, निर्वहन और निष्पादन के लिए एक सतत प्रतिभूति है, जिसमें उधारकर्ता के बकाये का भुगतान भी शामिल है, भले ही उधारकर्ताओं द्वारा कोई मध्यवर्ती भुगतान या संतुष्टि हो, या डीएमआई द्वारा कोई रियायत, सहनशीलता या छूट दी गई हो।

5.12. **प्रतिभूतियों के संबंध में अधिकार**

(i) **मतदान अधिकार**

A. उधारकर्ता, जब तक कि डिफ़ॉल्ट की घटना घटित न हो और जारी रहे, प्रतिभूतियों के संबंध में किसी भी मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकता है, बशर्ते कि उधारकर्ता किसी भी ऐसे तरीके से मतदान नहीं करेगा जो टीएंडसी की शर्तों के साथ असंगत हो या जो डिफ़ॉल्ट की घटना को जन्म देगा, और किसी ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं करेगा जिसका प्रभाव डीएमआई और/या सुरक्षा ट्रस्टी के अधिकारों को बदलने का होगा या इस टीएंडसी के अनुसार, या प्रतिज्ञाओं/प्रभार/ग्रहणाधिकार की शर्तों या प्रतिज्ञाओं/प्रभार/ग्रहणाधिकार से जुड़े किसी भी अधिकार या प्रतिभूतियों को किसी भी तरह से बदलने का होगा। डिफ़ॉल्ट की घटना होने पर, प्रतिभूतियों के संबंध में किसी भी मतदान अधिकार का प्रयोग केवल डीएमआई द्वारा किया जा सकता है (प्रतिभूतियों के मोचन के लिए निर्देश देने सहित, जैसा लागू हो), जिसमें नकद कॉर्पोरेट क्रियाएं शामिल हैं, लाभांश, बायबैक आय आदि। यदि ऐसी नकद प्राप्तियां सीधे उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की जाती हैं, तो उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत होता है और डीएमआई / सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा मांगे बिना तुरंत डीएमआई को इसकी रिपोर्ट करने के लिए खुद को बाध्य करता है।

B. इस नियम एवं शर्त के अन्य प्रावधानों के अधीन, एक बार चूक की घटना घटित हो जाने पर, सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) प्रतिभूतियों से संबंधित सभी परिणामी अधिकारों (मतदान अधिकार सहित) का प्रयोग करने का हकदार होगा।

(ii) **लाभांश , ब्याज और अन्य वितरण**

जब तक कोई चूक की घटना नहीं घटित होती है, उधारकर्ता प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान किए गए किसी भी और सभी लाभांश/ब्याज को प्राप्त करने और बनाए रखने का हकदार होगा, बशर्ते कि कोई भी और सभी:

A. नकद और अन्य वितरण के अलावा भुगतान किए गए या देय लाभांश/ब्याज, किसी भी प्रतिभूतियों के संबंध में या उसके बदले में प्राप्त, प्राप्य या अन्यथा वितरित संपत्ति;

B. किसी परिसमापन या विघटन के संबंध में या पूंजी में कमी के संबंध में नकद में भुगतान किए गए या देय लाभांश / ब्याज / मोचन राशि और अन्य वितरण;

C. प्रतिभूति के मूलधन के संबंध में, या उसकी खरीद-वापसी या मोचन में, या उसके बदले में भुगतान की गई, देय या अन्यथा वितरित की गई नकदी ;

(चाहे चूक की घटना घटित हुई हो या नहीं और जारी हो) प्रतिभूतियों के भाग के रूप में धारण करने के लिए डीएमआई को तत्काल सौंप दिया जाएगा और यदि उधारकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो डीएमआई के लाभ के लिए ट्रस्ट में प्राप्त किया जाएगा और उधारकर्ता की अन्य संपत्ति या निधियों से अलग कर दिया जाएगा, और तुरंत डीएमआई (नकद के मामले में) या सुरक्षा ट्रस्टी (प्रतिभूतियों के मामले में) को उसी रूप में प्रतिभूतियों के रूप में सौंप दिया जाएगा जिस रूप में प्राप्त किया गया था (किसी भी आवश्यक समर्थन के साथ) और उधारकर्ता सहमत है कि इस संबंध में किसी भी अतिरिक्त अनुपूरक प्रतिज्ञा/प्रभार/ग्रहणाधिकार अंकन/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है; और ऊपर के रूप में प्राप्त किसी भी नकदी को उधारकर्ता के बकाए के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

5.13. **सुरक्षा का मार्जिन**

जब तक उधारकर्ता पर कोई देनदारी बकाया रहती है, डीएमआई उधारकर्ता से डीएमआई को स्वीकार्य प्रतिभूतियों के प्रतिभूति ट्रस्टी के पक्ष में गिरवी/प्रभार के रूप में मार्जिन को हर समय सुरक्षा ट्रस्टी के पास बनाए रखने या बनाए रखने का कारण बनने की आवश्यकता कर सकता है (डीएमआई के लाभ के लिए) । मार्जिन के बारे में डीएमआई का निर्धारण उधारकर्ता के लिए निर्णायक, अंतिम और बाध्यकारी है और रहेगा। उधारकर्ता तुरंत, और किसी भी स्थिति में 2 (दो) दिनों के भीतर, डीएमआई/सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा समय-समय पर किए गए मार्जिन कॉल का अनुपालन करेगा। बशर्ते कि मार्जिन कॉल के लिए नोटिस अवधि के दौरान भी, प्रतिभूति ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) को गिरवी रखी गई/प्रभार की गई प्रतिभूतियों के सभी या हिस्से को तुरंत और बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, जैसा भी वह ठीक समझे, बेचने का पूर्ण अधिकार होगा, ताकि डीएमआई द्वारा समय-समय पर अपनी आंतरिक नीतियों के अनुसार अनिवार्य ऋण-से-प्रतिभूति मूल्य को बनाए नहीं रखा जाता है, तो उधारकर्ता की पूरी देनदारियों को वसूल किया जा सके।

5.14. **अतिरिक्त सुरक्षा**

यदि मार्जिन को बनाए नहीं रखा जा रहा है, या प्रतिभूति का बाजार मूल्य गिरता है, या किसी अन्य परिस्थिति में यदि डीएमआई उचित समझे, तो उधारकर्ता ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूतियों पर प्रतिज्ञा/प्रभार प्रदान करेगा जो डीएमआई को स्वीकार्य हैं (" **अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ** ") और/या उधारकर्ता की बकाया राशि, या उसके ऐसे हिस्से को कम/चुकाएगा, ताकि मार्जिन बहाल हो सके और उधारकर्ता डीएमआई/सुरक्षा ट्रस्टी से नोटिस प्राप्त होने के 3 (तीन) दिन के भीतर ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ प्रदान करने का वचन देता है। अतिरिक्त प्रतिभूतियों पर प्रतिज्ञा/प्रभार इस समझौते में दिए गए तरीके से बनाया जाएगा, जिसमें उपरोक्त खंड 5.4 शामिल है और इस नियम और शर्तों के तहत प्रतिभूतियों पर लागू सभी शर्तें उसके बाद ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूतियों पर भी लागू होंगी।

5.15. यदि त्रुटिवश या अन्यथा, कोई प्रतिभूति या उसके संबंध में कोई अभिवृद्धि या अधिकार, जो सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में भारित/गिरवी रखे गए हैं , डीएमआई के प्राधिकार के बिना उधारकर्ता के कब्जे में आ जाते हैं, तो उधारकर्ता तुरंत ऐसी प्रतिभूतियों या किसी अभिवृद्धि या अधिकार को सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में सौंप देगा/गिरवी रख देगा/भारित कर देगा , जैसा कि डीएमआई द्वारा अपेक्षित हो सकता है,

और जब तक उधारकर्ता ऐसी प्रतिभूतियों या किसी अभिवृद्धि या अधिकार को सुरक्षा ट्रस्टी को सौंप नहीं देता है, तब तक वह ऐसी प्रतिभूतियों को डीएमआई की ओर से और उसके लाभ के लिए ट्रस्ट में रखेगा।

5.16. **तत्काल बिक्री का अधिकार**

किसी भी वित्तपोषण दस्तावेज में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि मार्जिन बनाए नहीं रखा जाता है, तो डीएमआई द्वारा मार्जिन बनाने के लिए दिए गए किसी भी नोटिस के बावजूद, सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) को तुरंत और उधारकर्ता के संदर्भ के बिना, बिक्री, मोचन, या अन्यथा द्वारा प्रतिभूतियों का निपटान या परिसमापन करने का अधिकार होगा और इस प्रकार प्राप्त सभी राशियों को डीएमआई के नामित खाते में सीधे जमा कराने का कारण होगा, जैसा कि डीएमआई द्वारा लिखित रूप में सुरक्षा ट्रस्टी को अधिसूचित किया जाएगा (" **नामित खाता** "), बशर्ते कि जहां ऐसी कोई भी राशि सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा प्राप्त की जाती है, उसे ट्रस्ट द्वारा और डीएमआई के लाभ के लिए रखा जाएगा और सुरक्षा ट्रस्टी तुरंत, और किसी भी स्थिति में 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर, उधारकर्ता के बकाए के लिए डीएमआई के नामित खाते में ऐसी सभी राशियों को स्थानांतरित कर देगा, यदि किसी कारणवश सुरक्षा ट्रस्टी स्टॉक एक्सचेंज पर बिक्री या म्यूचुअल फंड द्वारा पुनर्खरीद/मोचन (जैसा भी मामला हो) द्वारा प्रतिभूतियों का निपटान या परिसमापन करने में असमर्थ है, तो डीएमआई प्रतिभूतियों का निपटान 'ऑफ-मार्केट ट्रांजैक्शन' (निजी बिक्री के माध्यम से निपटान) के माध्यम से कर सकता है और डीएमआई और/या सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा ऑफ-मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए किए गए सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति उधारकर्ता द्वारा की जाएगी, और/या बीमा पॉलिसी को किसी तीसरे पक्ष को सौंपने के माध्यम से की जाएगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) हकदार होगा, लेकिन बाध्य नहीं होगा, और उधारकर्ता सुरक्षा ट्रस्टी को उधारकर्ता की ओर से सभी कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, जो किसी भी नुकसान को कम करने या प्रतिभूतियों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे जाएंगे।

5.17. डीएमआई के मानक आंतरिक ऋण-से-सुरक्षा मूल्य मानदंड, निर्धारित मार्जिन मानक और आवश्यकताएं, टॉप-अप और सेल-आउट अवधि, आवश्यकताएं और प्रक्रियाएं, हर समय डीएमआई द्वारा अपने विवेक से डीएमआई की समय-समय पर प्रचलित आंतरिक नीतियों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, और ऐसे आंतरिक मानदंड, मानक, आवश्यकताएं और/या प्रक्रियाएं उधारकर्ता पर लागू होंगी, और उधारकर्ता को उनमें किसी भी बदलाव के बारे में सूचित किया जाएगा। इस घटना में कि टीएंडसी की नियम और शर्तें ऐसे संशोधित मानदंडों, मानकों, आवश्यकताओं और/या प्रक्रियाओं के साथ असंगत या विपरीत हैं, डीएमआई ऐसी असंगति के बारे में उधारकर्ता को सूचित करेगा और उसके बाद टीएंडसी की शर्तें पार्टियों की ओर से किसी भी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता के बिना आवश्यक सीमा तक संशोधित या संशोधित या प्रतिस्थापित मानी जाएंगी।

5.18. **उधारकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा उधारकर्ता के दायित्व को जारी रखना**

जहां उधारकर्ता, एक प्राकृतिक व्यक्ति होने के नाते, स्वीकृत ऋण की लंबित अवधि के दौरान मर जाता है, इस नियम एवं शर्तों के तहत मृतक उधारकर्ता के दायित्व और स्वीकृत ऋण के संबंध में निष्पादित वित्तपोषण दस्तावेज और अन्य दस्तावेज, मृतक उधारकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, समनुदेशिती, उत्तराधिकारियों, नामांकित व्यक्तियों पर उसी प्रकार हस्तांतरित हो जाएंगे, जैसे कि वे मृतक उधारकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों/समनुदेशिती/उत्तराधिकारियों/नामांकित व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए गए हों।

6. **उधारकर्ता की शर्तें, प्रतिनिधित्व और वारंटी**

6.1. उधारकर्ता को:

(i) वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का पालन और निष्पादन करना;

(ii) डीएमआई को सभी दस्तावेज तुरंत सौंपे, जिसमें बैंक खाता विवरण भी शामिल है, जिसकी डीएमआई को समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है। उधारकर्ता डीएमआई को स्वतंत्र रूप से (ए) किसी भी बैंक के साथ संवाद करने के लिए अधिकृत करता है, जहां उधारकर्ता का खाता है और बैंक से ऐसे खाते के संबंध में विवरण और विवरण मांगता है; और (बी) उधारकर्ता के किसी भी आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/ग्राहक के साथ, जिसे डीएमआई आवश्यक समझे, जिसमें उधारकर्ता की ऋण पात्रता की निगरानी करना भी शामिल है;

(iii) किसी भी उधारकर्ता के विरुद्ध किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही की सूचना तुरंत डीएमआई को देना;

(iv) किसी भी प्रतिकूल प्रभाव या चूक की घटना के बारे में डीएमआई को सूचित करना;

(v) राष्ट्रीयता के पते में किसी भी परिवर्तन के बारे में डीएमआई को लिखित रूप में सूचित करना ;

(vi) उधारकर्ता, स्वीकृत ऋण की बकाया राशि, ब्याज और अन्य बकाया राशि और प्रभारों सहित पूरी तरह से चुकाए बिना रोजगार या व्यवसाय या विदेश में लंबी अवधि के प्रवास के लिए भारत नहीं छोड़ेगा;

(vii) मुख्य तथ्य विवरण में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्वीकृत ऋण का उपयोग नहीं करेगा और विशेष रूप से इसका उपयोग (क) पूंजी बाजार में किसी भी निवेश के लिए नहीं करेगा, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (ख) प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयों और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए या (ग) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य के लिए या (घ) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है;

(viii) वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुसार सुरक्षा प्रदान करना, यदि कोई हो, या किसी भी उधारकर्ता की ऋण पात्रता में किसी भी परिवर्तन के मामले में डीएमआई द्वारा अपेक्षित हो (जैसा कि डीएमआई द्वारा निर्धारित किया जाता है);

(ix) यह सुनिश्चित करना कि व्यावसायिक आय उस खाते में जमा की जाए जिससे डीएमआई को अधिदेश जारी किए गए हैं;

(x) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 सहित लागू कानूनों का हर समय अनुपालन करना;

(xi) सरकार या किसी सार्वजनिक/स्थानीय प्राधिकरण को देय कोई भी बकाया जैसे आयकर, निगम कर और अन्य सभी कर और राजस्व, इस T&C की शर्तों को प्रभावी करने के लिए DMI द्वारा अपेक्षित सभी कार्य, कर्म और चीजें करेगा।

6.2. उधारकर्ता इसके द्वारा आगे सहमत होता है और DMI और/या उसके विनियामकों या DMI और/या उसके विनियामकों द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष को उधारकर्ता की पूर्व-निर्धारित योजनाओं और/या खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत करता है। उधारकर्ता DMI, उसके विनियामकों, DMI द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष या उसके विनियामकों द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए किए गए सभी लागतों और खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा।

6.3. डीएमआई ऋणकर्ता से स्वीकृत ऋण को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकता है और फिर डीएमआई द्वारा इस आशय की सूचना दिए जाने पर, ऋणकर्ता वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार, डीएमआई को स्वीकार्य अनुसार, तत्काल अतिरिक्त प्रतिभूतियां उपलब्ध कराएगा।

6.4. उधारकर्ता डीएमआई के समक्ष निम्नानुसार प्रतिनिधित्व और वारंट करता है:

(i) ऋण आवेदन में तथा किसी अन्य दस्तावेज में ऋणदाता द्वारा दी गई सभी जानकारी, चाहे वह ऋणदाता की ऋण पात्रता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक हो या न हो, सत्य और सही है तथा किसी भी तरह से भ्रामक नहीं है।

(ii) ऋणकर्ता सभी लागू कानूनों के तहत वित्तपोषण दस्तावेजों और उसके अंतर्गत लेनदेन को निष्पादित करने में सक्षम और हकदार है।

(iii) जहां उधारकर्ता एक व्यक्ति है, उधारकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक है और यह नियम एवं शर्तें उसके लिए एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व है, जो इसकी शर्तों के अनुसार उसके विरुद्ध लागू किया जा सकता है।

(iv) न तो उधारकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों का निष्पादन और वितरण और न ही उधारकर्ता के किसी भी दायित्व का प्रदर्शन या पालन किसी कानून, क़ानून, नियम, आदेश, ट्रस्ट, समझौते या अन्य साधनों, व्यवस्था, दायित्व या कर्तव्य के उल्लंघन का परिणाम होगा जिसके द्वारा उधारकर्ता बाध्य है। उधारकर्ता ने सभी लागू कानूनों का अनुपालन किया है और आगे भी करता रहेगा और उसने सभी संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक लाइसेंस/प्राधिकरण प्राप्त

कर लिए हैं जैसा कि वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के निष्पादन और अपने व्यवसाय को जारी रखने के लिए लागू कानूनों के तहत आवश्यक है।

(v) उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि उसे स्वीकृत ऋण लेने से किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

(vi) उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि वह समझता है और उसने मुख्य तथ्य विवरण और वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार स्वीकृत ऋण को अपनी स्वतंत्र इच्छा से और किसी तीसरे पक्ष के दबाव/प्रभाव/दबाव के बिना प्राप्त करने के लिए सहमति दी है।

(vii) ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जो डीएमआई के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उसके दायित्व को प्रभावित करे।

(viii) उधारकर्ता ने किसी भी कर या सरकारी बकाया का भुगतान नहीं किया है।

(ix) उधारकर्ता के विरुद्ध कोई मुकदमा/कार्यवाही लंबित या धमकी प्राप्त नहीं है तथा उधारकर्ता को वर्तमान में ऐसे किसी तथ्य की जानकारी नहीं है जिससे ऐसे मुकदमे/कार्यवाही या भौतिक दावों को जन्म मिलने की संभावना हो।

(x) उधारकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दिवालियापन या दिवालियापन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है।

(xi) उधारकर्ता को किसी भी नियामक/सांविधिक प्राधिकरण और/या बैंकों और/या वित्तीय संस्थानों और/या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि द्वारा चूककर्ताओं की किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(xii) चूक की कोई घटना घटित नहीं हुई है और/या अस्तित्व में है या जारी है।

(xiii) उधारकर्ता डीमैट खाते में जमा और/या गिरवी रखी गई/गिरवी रखी जाने वाली या ग्रहणाधिकार चिह्नित/ग्रहणाधिकार चिह्नित या समय-समय पर सौंपी जाने वाली प्रतिभूतियों का कानूनी और लाभकारी स्वामी है जो किसी भी प्रकार या प्रकृति के किसी भी शुल्क, ऋणभार, ग्रहणाधिकार, दावे और/ या प्रतिबंध से मुक्त हैं/होंगी। उधारकर्ता को वित्तपोषण दस्तावेजों में दिए गए अनुसार सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में ऐसी प्रतिभूतियों पर सुरक्षा हित बनाने के लिए अधिकृत किया गया है और इस तरह के अधिकार या क्षमता पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। स्वीकृत ऋण के संबंध में उधारकर्ता द्वारा देय सभी उधारकर्ता बकाया राशि का पूर्ण पुनर्भुगतान होने तक सुरक्षा को इस तरह गिरवी रखा जाना जारी रहेगा।

6.5. उधारकर्ता यह दर्शाता है कि यदि इस नियम एवं शर्तों के अनुसार कोई अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ प्रदान की जानी हैं, तो उधारकर्ता ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूतियों को डीएमआई के लाभ के लिए तथा उसके साथ उधारकर्ता के सभी अधिकारों, शीर्षक, दावों, माँग, लाभों और हितों के साथ, ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूतियों में, उनके अंतर्गत या उनके संबंध में तथा अतिरिक्त प्रतिभूतियों या उनके ऐसे भाग की बिक्री, मोचन, पुनर्खरीद और अन्य प्राप्ति की आय के साथ सौंपेगा, हस्तांतरित करेगा और प्रभारित करेगा। उधारकर्ता ऐसे कदम उठाएगा जो डीएमआई/ सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा अपेक्षित हो सकते हैं और डीएमआई/ सुरक्षा ट्रस्टी को ऐसे सभी दस्तावेज, विलेख और अन्य लेखन जमा करेगा और सौंपेगा जो डीएमआई/ सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा आवश्यक या अपेक्षित हो सकते हैं और अतिरिक्त प्रतिभूतियों से संबंधित हैं जो उधारकर्ता के सभी बकाया के उचित निर्वहन, मोचन और पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में हैं। इस समझौते के अनुसरण में उधारकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में , ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूतियों या उसके किसी भाग के संबंध में किसी भी तीसरे पक्ष का कोई पूर्व मौजूदा अधिकार, शीर्षक, दावा या हित नहीं होगा।

6.6. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/ पर डीएमआई गोपनीयता नीति पढ़ ली है, और उस पर अपनी सहमति दे दी है। उधारकर्ता स्वीकार करता है और डीएमआई को उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई या अन्यथा डीएमआई द्वारा प्राप्त की गई जानकारी का उपयोग, भंडारण और प्रसंस्करण करने के लिए अपनी सहमति देता है, स्वीकृत ऋण प्रदान करने और उसकी निगरानी करने, उसके पुनर्भुगतान और वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुपालन के लिए और डीएमआई की व्यावसायिक आवश्यकताओं और किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए जैसा कि गोपनीयता नीति में विस्तृत है या जिसके लिए उधारकर्ता

ने किसी अन्य तरीके से अपनी सहमति प्रदान की है। उधारकर्ता समझता है और सहमत है कि डीएमआई लागू कानून के अधीन, अपने ठेकेदारों, एजेंटों और किसी भी अन्य तीसरे पक्ष को आवश्यकता के आधार पर या डीएमआई गोपनीयता नीति में प्रदान किए गए अनुसार या किसी वैधानिक/नियामक आवश्यकता के अनुसार आवश्यक हो सकता है।

7. डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ

7.1. निम्नलिखित कार्य/घटनाएँ प्रत्येक स्वीकृत ऋण के प्रयोजनों के लिए उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना मानी जाएँगी:

(i) उधारकर्ता निर्धारित तिथि पर किसी भी उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है;

(ii) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी शर्त, अनुबंध, प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा या पुष्टि का उल्लंघन;

(iii) उधारकर्ता द्वारा कोई धोखाधड़ी या गलत बयान या गलत जानकारी छिपाना, जिससे डीएमआई द्वारा कोई सुविधा प्रदान करने के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता हो;

(iv) उधारकर्ता की मृत्यु, पागलपन या कोई अन्य स्थायी विकलांगता;

(v) उधारकर्ता स्वीकृत ऋण का उपयोग उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है या वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित अंतिम उपयोग प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है ;

(vi) किसी भी घटना, स्थिति या परिस्थिति (कानून में किसी भी परिवर्तन सहित) का घटित होना, जो डीएमआई के एकमात्र और पूर्ण विचार में भौतिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिसमें उधारकर्ता के दिवालियापन/परिसमापन/दिवालियापन के लिए किसी भी कार्यवाही या कार्रवाई की सीमा या उसकी किसी भी संपत्ति की कुर्की/प्रतिबंध शामिल है;

7.2. डीएमआई का निर्णय कि चूक की घटना घटित हुई है या नहीं, उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

8. चूक के परिणाम

8.1. डिफ़ॉल्ट की किसी भी घटना के घटित होने पर और उसके बाद किसी भी समय, डीएमआई को किसी भी स्वीकृत ऋण के विरुद्ध सभी संवितरण रोकने, स्वीकृत ऋण के संबंध में बकाया सभी राशियों को, चाहे देय हों या नहीं, तुरंत चुकौती योग्य घोषित करने का अधिकार होगा, लेकिन यह दायित्व नहीं होगा और यदि उधारकर्ता 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उक्त भुगतान करने में विफल रहता है, तो डीएमआई अपने विवेक से किसी भी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग कर सकता है जो डीएमआई को किसी भी लागू कानून के तहत उपलब्ध हो सकता है, जिसमें उधारकर्ता या उनकी संपत्तियों के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा राहत या कुर्की की मांग करना शामिल है। पूर्वोक्त के बावजूद, यदि उधारकर्ता ऐसे भुगतान की देय तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो डीएमआई को अन्य बातों के साथ-साथ उसे एक गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने और तदनुसार क्रेडिट ब्यूरो एजेंसियों को इसकी रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।

8.2. एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि एक बार जब उपरोक्त खंड 8.1 के अनुसार उधारकर्ता को नोटिस दे दिया जाता है, तो उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूतियों या किसी अन्य संपार्श्विक के विरुद्ध प्रतिज्ञा को लागू करने या सुरक्षा हित को लागू करने से पहले डीएमआई और/या सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा उधारकर्ता को कोई और नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी और इस तरह के नोटिस को अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 176 के तहत बिक्री के नोटिस के रूप में भी माना जाएगा।

8.3. उधारकर्ता पूर्वोक्त चूकों या डीएमआई उपायों के प्रयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न सभी कानूनी और अन्य लागतों और खर्चों के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा।

8.4. डीएमआई, चूक की किसी भी घटना के घटित होने पर, सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के लाभ के लिए) के पक्ष में बनाए गए प्रतिज्ञा/प्रभार/ग्रहणाधिकार को नीचे खंड 8.5 में निर्धारित तरीके से लागू कर सकता है।

8.5. **सुरक्षा का प्रवर्तन**

(i) डिफ़ॉल्ट की घटना होने पर, डीएमआई अपने पूर्ण विवेक पर और इस टीएंडसी या किसी अन्य वित्तपोषण दस्तावेज़ या लागू कानूनों के तहत डीएमआई के अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सुरक्षा/गिरवी/प्रभार का आह्वान कर सकता है/उसे छुड़ाने की मांग कर सकता है और/या अपने नाम पर या अपने किसी नामित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित या पंजीकृत कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे, सभी या किसी भी प्रतिभूति को, उधारकर्ता की कीमत पर, इस टीएंडसी की शर्तों के अनुसार, न्यायालय के विशिष्ट हस्तक्षेप या किसी न्यायालय के आदेश की आवश्यकता के बिना।

(ii) चूक की घटना घटित होने पर और यदि डीएमआई द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो डीएमआई प्रतिभूतियों पर बनाए गए प्रतिज्ञा के प्रवर्तन के लिए डीएमआई द्वारा निर्देशित या अन्यथा आवश्यक सभी कार्य करेगा और सभी कार्रवाई करेगा तथा डीएमआई के निर्देशों के अनुसार उससे प्राप्त सभी राशियों का उपयोग करेगा ।

8.6. **मोचन और बिक्री की शक्ति**

डिफ़ॉल्ट की घटना घटित होने पर:

(i) सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) को प्रतिभूतियों (या उसके किसी भाग) को सार्वजनिक या निजी बिक्री में, या "बाज़ार से बाहर" लेनदेन में, या नकद के लिए किसी प्रतिभूति विनिमय पर, क्रेडिट पर या भविष्य में डिलीवरी या हस्तांतरण के लिए बेचने का अधिकार होगा या उधारकर्ता की कीमत पर डीएमआई या उसके किसी भी नामिती के नाम पर पंजीकरण प्राप्त करने का अधिकार होगा, जैसा कि सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) वाणिज्यिक रूप से उचित समझे और उससे प्राप्त राशि को इस टीएंडसी के प्रावधानों के अनुसार उधारकर्ता के बकाए के भुगतान के लिए लगाए, बशर्ते कि सुरक्षा ट्रस्टी किसी भी प्रतिभूति की बिक्री करने के लिए बाध्य नहीं होगा यदि सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) ऐसा नहीं करने का निर्णय लेता है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि बिक्री की सूचना क्यों न दी गई हो। सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) ऐसे मोचन/वापस खरीद मूल्य पर प्रतिभूतियों की इकाइयों के मोचन या पुनर्खरीद की मांग भी कर सकता है जो डीएमआई के लिए अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर उपलब्ध और उपयुक्त और स्वीकार्य माना जा सकता है। डीएमआई इस नियम और शर्तों के तहत संबंधित या अन्यथा देय प्रतिभूतियों के संबंध में उधारकर्ता को देय सभी राशियों को सीधे प्राप्त करने का भी हकदार होगा। यदि सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) प्रतिभूतियों पर अंकित प्रतिज्ञा/प्रभार/ग्रहणाधिकार का आह्वान करता है, तो उधारकर्ता बिना शर्त सहमत होता है कि सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) प्रतिज्ञाकर्ता/प्रभार धारक के रूप में कानून में अपने अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में प्रतिभूतियों के लाभकारी स्वामी के रूप में डीएमआई को पंजीकृत करने का हकदार हो सकता है।

(ii) इसके अलावा, सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) ऐसे तरीके से और ऐसे समय या समयों पर और ऐसे प्रतिफल के लिए (चाहे तुरंत या किश्तों में देय हो) मोचन/बिक्री की ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का हकदार होगा, जैसा वह अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे और ऐसी प्रतिभूतियों (या उनके किसी प्रासंगिक भाग) को मोचन और/या बेचा जा सकता है (ए) ऐसी किसी भी शर्तों के अधीन, जिसे सुरक्षा ट्रस्टी (डीएमआई के निर्देशों पर कार्य करते हुए) लगाना उचित समझे, और (बी) किसी भी व्यक्ति को (डीएमआई से जुड़े किसी भी व्यक्ति सहित)। सुरक्षा ट्रस्टी/डीएमआई किसी भी ऐसे नुकसान के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा, जो ऐसी शक्ति के प्रयोग से उत्पन्न हो सकता है और/या किसी दलाल या नीलामीकर्ता या सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए रखे गए अन्य व्यक्ति या निकाय की ओर से किसी कार्य या चूक से उत्पन्न हो सकता है।

(iii) उधारकर्ता यह पुष्टि करता है कि सुरक्षा ट्रस्टी को विक्रय की अपनी शक्ति के प्रयोग के अनुसरण में प्राप्त किसी भी धनराशि के लिए उचित उन्मोचन देने के लिए प्राधिकृत किया गया है और क्रेता यह जानने के लिए बाध्य नहीं होगा कि विक्रय की शक्ति यहां दिए गए अनुसार उत्पन्न हुई है या ऐसी विक्रय की आय के आवेदन के तरीके से चिंतित नहीं होगा।

(iv) इस नियम व शर्त के अनुसार किसी भी बिक्री/मोचन/वापस खरीदने से होने वाली हानि या इसके किसी भी प्रकार के स्थगन के संबंध में ऋणी का डीएमआई/सुरक्षा ट्रस्टी और/या उनके नामांकित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा, चाहे इसका कारण कुछ भी हो और चाहे इस प्रकार के मोचन/बिक्री की तिथि को स्थगित या आगे बढ़ाकर

या अन्यथा किसी भी प्रकार से संपूर्ण प्रतिभूतियों या उसके किसी भाग के मोचन, बिक्री या निपटान पर बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सकता था या नहीं।

(v) ऋणकर्ता को प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन के परिणामस्वरूप शेष ऋणकर्ता बकाया राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. खुलासे

9.1. उधारकर्ता स्वीकार करता है और डीएमआई को अधिकृत करता है कि वह उधारकर्ता, स्वीकृत ऋण, उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी भी चूक से संबंधित सभी जानकारी और डेटा को ऐसे तृतीय पक्ष/एजेंसियों को प्रकट करे, जिन्हें डीएमआई स्वीकृत ऋण के संबंध में अपने अधिकारों और उपायों के प्रयोग के लिए प्रकट करना उचित और आवश्यक समझे और/या आरबीआई द्वारा अधिकृत हो, जिसमें क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी भी शामिल है। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है और अधिकृत करता है कि ऐसी जानकारी का उपयोग, प्रसंस्करण डीएमआई/तृतीय पक्ष/क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी/आरबीआई द्वारा किया जाए, जैसा वे उचित समझें और लागू कानूनों के अनुसार करें। इसके अलावा, चूक की स्थिति में, डीएमआई और ऐसी एजेंसियों को उधारकर्ता/या उसके निदेशकों/भागीदारों/सह-आवेदकों का नाम, जहां लागू हो, 'चूककर्ता' के रूप में ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार होगा, जैसा डीएमआई/क्रेडिट ब्यूरो उधारकर्ता डीएमआई को अभी या भविष्य में जानकारी साझा करने और/या प्रकट करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा और न ही उधारकर्ता और/या अन्य को इसके कारण होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। इस खंड 8 के प्रावधान T&C की समाप्ति और उधारकर्ता के बकाया के पुनर्भुगतान के बाद भी लागू रहेंगे।

10. मिश्रित

10.1. डीएमआई के अभिलेखों में की गई प्रविष्टियां उधारकर्ता की देयताओं के अस्तित्व और राशि का निर्णायक साक्ष्य होंगी तथा डीएमआई द्वारा प्रस्तुत देयताओं का कोई भी विवरण उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा उस पर बाध्यकारी होगा।

10.2. यदि एक से अधिक उधारकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किसी स्वीकृत सुविधा के लिए आवेदन किया है, तो उधारकर्ता की देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता की देयता संयुक्त और अलग-अलग होगी।

10.3. उधारकर्ता सभी दस्तावेजों और संशोधनों को निष्पादित करेगा और डीएमआई द्वारा अपेक्षित डीएमआई के साथ सहयोग करेगा: (i) किसी भी आरबीआई दिशा-निर्देशों/निर्देशों का अनुपालन करने के लिए; या (ii) डीएमआई को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अधिकारों का पूरा लाभ देने के लिए। उपर्युक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना उधारकर्ता इस बात पर अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि ऐसा करने में विफल होने पर, ऐसे परिवर्तनों को वित्तपोषण दस्तावेजों में शामिल माना जाएगा और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

10.4. किसी भी स्वीकृत ऋण के निलंबन या समाप्ति के बावजूद, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार डीएमआई के सभी अधिकार और उपचार तब तक जारी रहेंगे जब तक कि डीएमआई को उधारकर्ता की बकाया राशि पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो जाती।

10.5. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि डी.एम.आई., स्वयं या अपने कार्यालय कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, एक या एक से अधिक तीसरे पक्ष को नियुक्त करने का हकदार होगा और उसके पास पूर्ण शक्ति और अधिकार होगा, जो लागू कानूनों के अधीन होगा (जिसे आगे " **सेवा प्रदाता** " कहा जाएगा) जैसा कि डी.एम.आई. चुन सकता है और उधारकर्ता प्रशासन से संबंधित जानकारी के स्रोत, पहचान और सत्यापन, स्वीकृत ऋण की निगरानी और उससे संबंधित सभी वैध कृत्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को निष्पादित करने और निष्पादित करने के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्ति को सौंप सकता है जिसमें नोटिस भेजना, उधारकर्ता से संपर्क करना, डी.एम.आई. के पक्ष में उधारकर्ता से नकद / चेक / ड्राफ्ट / अधिदेश प्राप्त करना शामिल है। सेवा प्रदाता को डी.एम.आई. द्वारा उधारकर्ता से देय किसी भी बकाया राशि के लिए वसूली / संग्रह एजेंट / एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसे वसूली एजेंट / एजेंसी का विवरण मुख्य तथ्य विवरण में प्रदान किया जाएगा या डी.एम.आई. द्वारा परिवर्तित या अद्यतन किए जाने पर उधारकर्ता को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

10.6. उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इस वित्तपोषण लेनदेन से उसके और डीएमआई के बीच देनदार और लेनदार का रिश्ता बनता है, न कि डीएमआई द्वारा दी गई/दी जाने वाली किसी सेवा के संबंध में। तदनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधान इस लेनदेन पर लागू नहीं होंगे।

10.7. उधारकर्ता डीएमआई को उधारकर्ता का पैन/पैन कार्ड की प्रति, अन्य पहचान प्रमाण और बैंक खाता विवरण समय-समय पर प्राप्त करने और क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी से रिपोर्ट तैयार करने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है। और ऐसी अन्य रिपोर्टें जब भी डीएमआई उचित समझे। उधारकर्ता इसके द्वारा सहमति देता है और डीएमआई को आधार ई-केवाईसी या अन्यथा द्वारा अपना केवाईसी सत्यापन करने और आधार ई-केवाईसी और उधारकर्ता के व्यवसाय के सत्यापन सहित ऐसे सत्यापन की प्रक्रिया को विधिवत पूरा करने के लिए अपनी ओर से या अन्यथा आवश्यक सभी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है और ऐसी जानकारी को किसी भी प्राधिकरण के साथ साझा करता है और ऐसी जानकारी को उस तरीके से संग्रहीत करता है जिसे वह लागू कानूनों के अधीन उचित समझता है।

10.8. उधारकर्ता डीएमआई को सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें आय प्रमाण दस्तावेज, निवास और पंजीकृत कार्यालय / अन्य व्यवसाय से संबंधित पते के प्रमाण दस्तावेज, पते के प्रमाण दस्तावेज, पहचान दस्तावेज और व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी वाले अन्य ऐसे दस्तावेज शामिल हैं जो किसी भी स्वीकृत ऋण को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और वे डीएमआई द्वारा बाद में उसी को बनाए रखने के लिए भी सहमति देते हैं।

10.9. किसी भी घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्यात्मक जानकारी, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, कृत्य, चूक, दावे, उल्लंघन, चूक या अन्यथा सहित किसी भी मामले की भौतिकता के संबंध में डीएमआई और उधारकर्ता के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, उपरोक्त में से किसी की भौतिकता के संबंध में डीएमआई की राय अंतिम होगी और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी ।

11. गंभीरता

11.1. उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि इन वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत उधारकर्ता का प्रत्येक दायित्व स्वतंत्र है तथा शेष से पृथक करने योग्य है।

12. शासन कानून और अधिकार क्षेत्र

12.1. सभी स्वीकृत सुविधाएं और वित्तपोषण दस्तावेज भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किए जाएंगे।

12.2. इन प्रस्तुतियों से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे या इसके निर्माण, अर्थ या प्रभाव के बारे में या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत पार्टियों के अधिकार और दायित्वों के बारे में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या इसके प्रतिस्थापन के लिए अधिनियमित किसी भी क़ानून के प्रावधान के अनुसार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा तय किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा और अधिनियम की धारा 29(बी) में निर्धारित फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जाएगी। मध्यस्थता के अंतरिम पुरस्कारों सहित पुरस्कार अंतिम होंगे और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। मध्यस्थ ऐसे पुरस्कार में कोई कारण बताए बिना पुरस्कार पारित कर सकता है।

12.3. इसके अलावा, वर्तमान खंड वित्तपोषण दस्तावेजों की समाप्ति के बाद भी लागू रहेगा। दिल्ली, भारत के न्यायालयों को वित्तपोषण दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले किसी भी या सभी विवादों पर विशेष अधिकार क्षेत्र (मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन जो दिल्ली, भारत में भी आयोजित की जानी है) होगा।

13. नोटिस

13.1. वित्तीय दस्तावेजों के संबंध में उधारकर्ता को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस तभी वैध माना जाएगा जब उसे उधारकर्ता को दिया जाए या पंजीकृत डाक से उधारकर्ता के मौजूदा या अंतिम ज्ञात व्यावसायिक या निजी पते पर भेजा जाए या छोड़ा जाए। पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया ऐसा कोई भी नोटिस उधारकर्ता को पोस्ट किए जाने के 48 घंटों के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। डीएमआई को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस तभी वैध माना जाएगा जब वह डीएमआई द्वारा उसके ऊपर बताए गए पते पर प्राप्त किया गया हो।

13.2. स्वीकृत सुविधा के संबंध में उधारकर्ता को किसी भी शिकायत के लिए, वह मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित विवरण के माध्यम से डीएमआई से संपर्क कर सकता है।

14. कार्यभार

14.1. ऋणी को डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व या कर्तव्यों को संयुक्त रूप से या अलग-अलग किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित या सौंपने या किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई तृतीय-पक्ष हित बनाने का अधिकार नहीं होगा।

14.2. डीएमआई को किसी भी तरीके से (पूरी तरह या आंशिक रूप से और भागीदारी अधिकारों के अनुदान के माध्यम से) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी लाभ, अधिकार, दायित्व, कर्तव्यों और / या देनदारियों को बेचने, हस्तांतरित करने, सौंपने या सुरक्षित करने का अधिकार होगा, उधारकर्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना या उसे सूचित किए बिना, ऐसे तरीके और शर्तों के अनुसार जो डीएमआई तय कर सकता है। ऐसे हस्तांतरण, असाइनमेंट या प्रतिभूतिकरण की स्थिति में, उधारकर्ता ऐसे असाइनी या ट्रांसफरर के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्व का पालन करेगा और उसे पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता डीएमआई द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर शेष अधिदेश को हस्तांतरिती/असाइनी के पक्ष में प्रतिस्थापित करेगा।

15. हानि से सुरक्षा

15.1. ऋणकर्ता इसके द्वारा समय-समय पर और हर समय डीएमआई, उसके कर्मचारियों, प्रतिनिधियों, निदेशकों और सलाहकारों को किसी भी देयता, दावे, हानि, निर्णय, क्षति, लागत या व्यय (बिना किसी सीमा के, युक्तिसंगत वकील की फीस और व्यय सहित) के विरुद्ध क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित रखता है, जो ऋणकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी भी नियम व शर्तों और दायित्वों का पालन करने या निष्पादित करने में विफलता या चूक की घटना या डीएमआई द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें ऋणकर्ता के बकाये की किसी भी सुरक्षा या वसूली का प्रवर्तन शामिल है।

16. परिसंपत्ति वर्गीकरण

16.1. **डीएमआई उधारकर्ता को सूचित करता है कि, अग्रिमों से संबंधित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार - आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 12 नवंबर, 2021 के स्पष्टीकरण, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, डीएमआई उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव को, डिफ़ॉल्ट पर तुरंत, नीचे उल्लिखित वर्गीकरण के आधार पर विशेष उल्लेख खातों ("एसएमए") के रूप में वर्गीकृत करके पहचानेगा** :

16.2. " **अतिदेय तिथि** " **का** तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन उधारकर्ता खातों को दिन के अंत की प्रक्रिया के भाग के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

16.3. उदाहरण : यदि ऋण खाते की देय तिथि महीने की 15-मार्च-22 है और डीएमआई द्वारा इस तिथि के लिए डे-एंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो उधारकर्ता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा -

ईपीआई की नियत तिथि	**15-मार्च-22**	**देय तिथि से अधिक दिन (DPD)**	**-**
एपि अतिदेय	15-मार्च-22	0-30	एसएमए0
एपि अतिदेय (दिन के अंत तक प्राप्त नहीं)	14-अप्रैल-22	31-60	एसएमए1
ईपीआई का लंबित रहना	14-मई-22	61-90	एसएमए2

ईपीआई का लंबित रहना	13-जून-22	91 और उससे अधिक	एनपीए

वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया हो।

उदाहरण:

विवरण	**परिदृश्य 1***	**परिदृश्य 2**
ऋण वर्गीकरण	एनपीए	एनपीए
ईपीआई राशि	5,000	5,000
अतिदेय ईपीआई	15,000	15,000
भुगतान प्राप्त	5,000	15,000
शेष अतिदेय ईपीआई	10,000	-
ऋण वर्गीकरण	जब तक संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता, उधारकर्ता को एनपीए के रूप में रिपोर्ट किया जाता रहेगा	मानक

आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-2022/158 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/21.04.048/2021-22 दिनांक 15 फरवरी, 2022 के संदर्भ में, परिदृश्य 1 (एनपीए के रूप में वर्गीकृत को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी **अपग्रेड किया जा सकता है, जब ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया गया हो) 01 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।*

टिप्पणी

i. एनपीए खातों की रिपोर्टिंग अब दैनिक आधार पर की जाएगी।

ii. यदि उधारकर्ता के पास डीएमआई से एक से अधिक ऋण हैं, तो सभी ऋणों से संबंधित ब्याज और मूलधन के संपूर्ण बकाया का पुनर्भुगतान करने पर ही ऋण खातों को एनपीए से मानक परिसंपत्ति श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा।

iii. किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने से क्रेडिट ब्यूरो द्वारा बनाए गए क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए, डीएमआई सभी उधारकर्ताओं से आग्रह करता है कि वे ऋण चुकौती अनुसूची/मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित नियत तिथि के अनुसार अपना ईपीआई भुगतान करें। इससे क्रेडिट स्कोर में सुधार, दंड से बचने और टॉप-अप ऋण/ऑफ़र के लिए बेहतर पात्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है।

iv. हम सभी उधारकर्ताओं को https://portal.dmifinance.in/ पर लॉग इन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ईपीआई का भुगतान करने के लिए .

17. **स्वीकृति:**

मैं जानता हूँ कि डी.एम.आई. इस नियम एवं शर्त का हिस्सा बनने के लिए तभी सहमत होगा जब मैं नियम एवं शर्त में मेरे द्वारा भरी गई सभी शर्तों और विवरणों तथा डी.एम.आई. नीति के अनुरूप अन्य वित्तीय दस्तावेजों से संतुष्ट हो जाऊँगा। मैं सहमत हूँ कि यह नियम एवं शर्त डी.एम.आई. द्वारा डिजिटल रूप से

हस्ताक्षर किए जाने पर या स्वीकृत ऋण के प्रथम संवितरण की तिथि (जैसा लागू हो), जो भी पहले हो, लागू होगी।

किसी भी माल या उत्पाद (जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में पहचाना गया है) की खरीद के उद्देश्य से प्रदान किए गए स्वीकृत ऋणों के संबंध में, मैं स्वीकृत ऋण के संबंध में सभी उधारकर्ता बकाए को सुरक्षित करने के लिए डीएमआई के पक्ष में एक सतत सुरक्षा के रूप में वित्तपोषित उत्पाद को बंधक रखता हूं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं स्वीकृत ऋण का उपयोग मुख्य तथ्य विवरण में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करूंगा और विशेष रूप से इसका उपयोग नहीं करूंगा: (ए) पूंजी बाजार में कोई भी निवेश, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं (बी) प्राथमिक सोना, सोने की ईंट, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की इकाइयां (ईटीएफ) और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद या (सी) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य या (डी) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

हस्ताक्षर करके या "मैं स्वीकार करता हूँ"/ ई-हस्ताक्षर करके, उधारकर्ता इन नियमों और शर्तों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करता है और उनकी शर्तों से कानूनी रूप से बाध्य होने के लिए सहमत होता है। उधारकर्ता द्वारा इन नियमों और शर्तों को स्वीकार करने से निम्नलिखित का गठन होगा: (I) उधारकर्ता द्वारा इन नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और बिना शर्त बाध्य होने की सहमति ; और (II) उधारकर्ता द्वारा यह स्वीकारोक्ति और पुष्टि कि इन नियमों और शर्तों (वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) को उधारकर्ता द्वारा विधिवत पढ़ा और पूरी तरह से समझा गया है।

अनुबंध a

मुख्य तथ्य कथन

दिनांक: **विनियमित इकाई का नाम** डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड **ऋण आवेदन खाता संख्या:**

आवेदक का नाम:

क्रमांक I	**पैरामीटर**	**विवरण**
1	ऋण का प्रकार एवं उद्देश्य ऋण का उपयोग केवल इस मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाएगा और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा: (ए) पूंजी बाजार में कोई भी निवेश, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं; या (बी) प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण , सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयों और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद; या (सी) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य; या (डी) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।	व्यक्तिगत कर्ज़ &
2	स्वीकृत सुविधा (जैसा लागू हो)	
3	स्वीकृत ऋण (जैसा लागू हो)	
4	संवितरण अनुसूची (i) चरणबद्ध तरीके से या 100% अग्रिम भुगतान। (ii) यदि यह चरणवार है, तो ऋण की शर्त का उल्लेख करें प्रासंगिक विवरण वाला समझौता	100% अग्रिम
5	ऋण अवधि (वर्ष/महीने/दिन)	[●] महीने
6	किस्त का विवरण	
ए	किस्त का प्रकार	महीने के
बी	ईपीआई की संख्या	
सी	ईपीआई राशि	

डी	स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	
7	ब्याज दर % और प्रकार (घटती शेष राशि पर निश्चित)	% प्रतिवर्ष
8	ऋण की पूरी अवधि के दौरान लगाया गया कुल ब्याज (रुपये में)	
9	**शुल्क/प्रभार** , (यदि कोई हो) (प्रत्येक घटक का विवरण नीचे दिया जाएगा) (रुपये में)	ए+बी+सी
ए	प्रोसेसिंग शुल्क (जीएसटी सहित), यदि कोई हो (रुपये में) एक बार	
बी	बीमा (जीएसटी सहित) (रुपये में) एक बार	
सी	कोई अन्य शुल्क (जीएसटी सहित) (यदि कोई हो) (रुपये में) एक बार	
10	शुद्ध वितरित राशि (रुपये में)	
11	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (रुपये में)	
12	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) %	%
13	ऋण भुगतान का तरीका	अधिदेश
14	स्वीकृत सुविधा का चयन किया गया	
15	स्वीकृत सुविधा उपलब्धता अवधि	60 महीने
आकस्मिक शुल्क के बारे में विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो) *		
16	**विलंबित भुगतान शुल्क - 550 रुपये + जीएसटी**	
17	**पूर्व-बंदोबस्ती शुल्क: शून्य**	
18	**अतिदेय शुल्क – अतिदेय राशि पर 2% + जीएसटी** ***ईपीआई का भुगतान नियत तिथि पर न करना***	
19	**अन्य शुल्क: वैकल्पिक मोड/गैर-नच के लिए लागू - 30 रुपये तक + जीएसटी**	
20	**NACH अस्वीकृति शुल्क - INR 500 + जीएसटी**	
21	**डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:**	
(ए)	डीएमआई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	**5 दिन**

(बी)	वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले तथा उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	**[•]**
(सी)	वसूली के अलावा ऋण संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले एलएसपी/सोर्सिंग पार्टनर/चैनल का नाम (अर्थात सोर्सिंग, मार्केटिंग आदि)	**नैब फाइनेंस**
22	ऋण समझौते का खंड/वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित सामान्य नियम और शर्तें	**खंड 10.5**
23	ऋण समझौते का खंड/सामान्य नियम और शर्तें जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है	**खंड 13.2**
24	क्या ऋण अन्य विनियमित संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है या भविष्य में किया जा सकता है - (हां/नहीं)	**हाँ**
25	**गोपनीयता नीति** - https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/	
26	**फिन-टेक/डिजिटल ऋण से निपटने के लिए विशेष रूप से नामित नोडल शिकायत निवारण अधिकारी** **संबंधित शिकायतें/मुद्दे –** **शिकायत निवारण अधिकारी (उपभोक्ता ऋण)** नाम- आशीष सरीन पद- वरिष्ठ उपाध्यक्ष - ग्राहक सफलता ईमेल पता: head.services@dmifinance.in/ Grievence@dmifinance.in पता: एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 संपर्क नंबर: 011-41204444 https://www.dmifinance.in/fair-practice.html नाम – जैकी वर्मा पद – डिप्टी सीएफओ ईमेल पता: principalofficer@knabfinance.com पता: सारा हाउस, ए-31, हौज खास, नई दिल्ली-110016 संपर्क नंबर।: +91-9289566925	

* *आकस्मिक शुल्क कंपनी की नीति के आधार पर बदला जा सकता है*

ऋण की अवधि के दौरान लिया जाने वाला कुल ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, वितरित की गई कुल राशि और देय कुल राशि में परिवर्तन हो सकता है, यदि वितरण की तिथि इस KFS की स्वीकृति/जारी करने की तिथि से बाद की है। इसके परिणामस्वरूप APR में भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन APR को DMI की आंतरिक नीति के अनुसार सीमित किया जाएगा। अपडेट किया गया KFS जारी किया जाएगा और स्वागत पत्र के साथ उधारकर्ता के साथ साझा किया जाएगा। DMI के पास ऋण स्वीकृति को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित है, यदि ऐसा कोई परिवर्तन DMI की आंतरिक नीति दिशानिर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होता है।

संवितरण विवरण (जिस खाते में संवितरण किया जाना है)

मात्रा		बैंक का नाम	
खाता धारक का नाम		आईएफएससी कोड	
खाता नंबर।			

टिप्पणी

जोखिम के वर्गीकरण के लिए डीएमआई के दृष्टिकोण और विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं से अलग-अलग ब्याज दर वसूलने के औचित्य को समझने के लिए, कृपया https://www.dmifinance.in/investor-relations/policies/ पर उपलब्ध डीएमआई की ब्याज दर और शुल्क नीति देखें।

स्वीकृति:

मैं ("उधारकर्ता") इस मुख्य तथ्य विवरण की प्राप्ति की पुष्टि करता हूं और अपनी स्वीकृति की पुष्टि करता हूं और बताता हूं कि उपरोक्त शर्तों पर डीएमआई द्वारा प्रदान किया गया स्वीकृत ऋण ऋण के सामान्य नियमों और शर्तों, इस मुख्य तथ्य विवरण, ऋण आवेदन, सुरक्षा दस्तावेजों सहित अनुलग्नकों और मेरे द्वारा निष्पादित या डीएमआई द्वारा स्वीकृत ऋण के संबंध में आवश्यक किसी भी दस्तावेज द्वारा नियंत्रित होगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है ("वित्तपोषण दस्तावेज")।

मैं वित्तीय दस्तावेजों की शर्तों से कानूनी रूप से बंधे होने के लिए सहमत हूँ । मैं समझता हूँ कि मेरी स्वीकृति में शामिल होगा: (i) वित्तीय दस्तावेजों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और बिना शर्त बाध्य होने की मेरी सहमति; और (ii) उधारकर्ता की स्वीकृति और पुष्टि कि इस मुख्य तथ्य कथन (अन्य वित्तीय दस्तावेजों के साथ) को मैंने स्थानीय भाषा या मेरे/हमारे द्वारा समझी जाने वाली भाषा में विधिवत पढ़ा और पूरी तरह से समझा है।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं स्वीकृत ऋण का उपयोग इस मुख्य तथ्य कथन में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करूंगा और विशेष रूप से इसका उपयोग निम्नलिखित के लिए नहीं करूंगा: (क) पूंजी बाजारों में कोई निवेश, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं; या (ख) किसी भी रूप में सोने की खरीद, जिसमें प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण , सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयां शामिल हैं; या (ग) कोई सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य; या (घ) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध है या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

DMI FINANCE PRIVATE LIMITED

उपभवन बी

गणना का अप्रैल खुदरा ऋण के लिए

सीनियर नहीं।	पैरामीटर	विवरण
1	स्वीकृत ऋण मात्रा (में रुपए) (धारावाहिक नहीं। 3 का केएफएस टेम्पलेट – अनुलग्नक ए)	20,000
2	ऋण अवधि (महीनों में) (क्रमांक 5 केएफएस टेम्पलेट का प्रारूप – अनुलग्नक ए)	24
ए)	नहीं। का किश्तों के लिए भुगतान का प्रधानाचार्य, में मामला का गैर-समतुल्य आवधिक ऋण	-
बी)	प्रकार का ईपीआई (उधारकर्ता की पुनर्भुगतान आवृत्ति) मात्रा का प्रत्येक एपि (में रुपए) और संख्या का ईपीआई (उदाहरण, नहीं। का ईपीआई में मामला का मासिक किस्तें) (धारावाहिक नहीं। 6ए, 6बी, 6सी का केएफएस – अनुबंध a)	महीने के 970 24
सी)	नहीं। का किश्तों के लिए भुगतान का बड़ा कर दिया है दिलचस्पी, अगर कोई	-
डी)	प्रारंभ का पुनर्भुगतान, डाक संवितरण (धारावाहिक नहीं। केएफएस टेम्पलेट का 6डी – अनुलग्नक ए)	DDMMYYYY
3	दिलचस्पी दर प्रकार (धारावाहिक नहीं। 7 में से केएफएस टेम्पलेट – अनुलग्नक ए)	घटती शेष राशि के आधार पर तय
4	दर का ब्याज (सीरियल संख्या 7 केएफएस खाका – अनुबंध a)	15 % पीए
5	कुल दिलचस्पी मात्रा को होना आरोप लगाया दौरान पूरा स्वीकृति तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार ऋण की अवधि (रुपये में) (धारावाहिक नहीं। 8 का केएफएस खाका – अनुबंध a)	3,274
6	शुल्क/ प्रभार देय (में रुपए)	240
ए	देय को दोबारा (धारावाहिक संख्या 9ए, 9बी और 9 सी केएफएस टेम्पलेट-अनुलग्नक ए)	240
बी	RE के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	0
7	जाल वितरित राशि (सीरियल क्रमांक 3- सीरियल नं. 9) (में रुपए)	19,600
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (क्रमिक किस्तों का योग) नंबर 3 और सीरियल संख्या 7) (रुपये में)	23,274
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 12-अनुलग्नक ए)	17.07%
10	अनुसूची का अदायगी जैसा प्रति शर्तें और स्थितियाँ	100% अग्रिम
11	देय तारीख का भुगतान का किस्त और ब्याज	हर महीने की 5 तारीख

- विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के अंतर्गत दी गई किश्तों के योग से गणना की गई पुनर्भुगतान राशि में अंतर (यदि कोई हो) ऊपर उल्लिखित राशि की तुलना में विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची और परिशोधन मॉडल के अंतर्गत किश्त राशि को पूर्णांकित करने के कारण हो सकता है।
- एपीआर की गणना आईआरआर दृष्टिकोण और घटती शेष राशि पद्धति का उपयोग करके शुद्ध वितरित राशि पर की जाती है।
- इस ऋण सुविधा पर लागू शुल्क एवं कटौतियां आवेदन पत्र में उल्लिखित हैं तथा मुझे विधिवत समझा दी गई हैं।

उपभवन सी

वापसी अनुसूची अंतर्गत समान सामयिक किस्त के लिए ऋण

किस्त सं.	प्रारंभिक असाधारण प्रधानाचार्य शेष राशि (इंच में) रुपए)	प्रधानाचार्य (रुपये में)	दिलचस्पी (रुपये में)	खंडित अवधि ब्याज	किस्त (रुपये में)	समापन असाधारण प्रधानाचार्य शेष राशि (इंच में) रुपए)